

वन्नयिकाकुला आरक्षण असंवैधानिकि: मद्रास उच्च न्यायालय

प्रलिमिंस के लयि:

आरक्षण, उच्च न्यायालय, आदर्श आचार संहति, भारत का चुनाव आयोग

मेन्स के लयि:

शासन व्यवस्था में शक्तिपृथक्करण एवं संबंधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमलिनाडु वधानसभा द्वारा पारति आरक्षण वधियक को असंवैधानिकि घोषति कयिा है।

- इस वधियक में शकिषा और सार्वजनिकि रोजगार में सबसे पछिडे वर्गों (MBC) के लयि नरिधारति 20% के भीतर वन्नयिकाकुला क्षत्रयि समुदाय को 10.5% आंतरकि आरक्षण प्रदान करने की परकिलपना की गई थी।

प्रमुख बदि

- वन्नयिकाकुला क्षत्रयि आरक्षण के बारे में:**
 - यह आरक्षण राज्य के तहत अतपछिडा वर्ग और वमिकृत समुदाय अधनियिम, 2021 के लयि प्रदान कयिा गया था।
 - इसमें वन्नयिकाकुला क्षत्रयि (वन्नयिार, वनयिा, वन्नयिा गौंडर, गौंडर या कंदर, पडयाची, पल्ली और अग्नकुल क्षत्रयि सहति) समुदाय को शामिल कयिा गया था।
 - वर्ष 1983 में दूसरे तमलिनाडु पछिडा आयोग ने माना कविन्नयिकाकुला क्षत्रयिों की आबादी राज्य की कुल आबादी का 13.01% थी।
 - इसलयि 13.01% की आबादी वाले समुदाय को 10.5% आरक्षण के प्रावधान को अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता है।
- वधियक को चुनौती देने के लयि आधार:**
 - फरवरी 2021 में राज्य में **आदर्श आचार संहति (MCC)** लागू होने से कुछ घंटे पहले वधियक पारति होने के कारण इसको चुनौती दी गई थी।
 - इसके अलावा याचकिाकर्त्ता ने तर्क दयिा कि अधनियिम राजनीति से प्रेरति था और कानून जल्दबाजी में पारति कयिा गया था।
- तमलिनाडु सरकार का तर्क:**
 - लोकतांत्रकि राजनीति में एक नरिवाचति सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान कसिी भी वधियक को कानून बनाने की नीतिबिनाने की उसकी शक्ति के प्रयोग से नहीं रोका जा सकता है। राज्य सरकार के पास अंतमि समय तक जनता की राय को पूरा करने की शक्ति होती है।
 - वर्ष 2020 में राज्य में जातयिों, समुदायों और जनजातयिों पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लयि छह महीने के भीतर सेवानवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश **ए. कुलशेखरन** की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी।
 - तमलिनाडु सरकार ने माना कि आयोग ने अपने कार्यकाल की अवधि में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
 - इसके अलावा राज्य सरकार ने वर्ष 2007 के एक अधनियिम का उल्लेख कयिा जिसके माध्यम से राज्य में पछिडे वर्ग के मुसलमानों को अलग आरक्षण प्रदान कयिा गया, जिसके आधार पर भी राज्य सरकार को इस तरह के वधियक को पारति करने का अधिकार था।

आदर्श आचार संहति

- आदर्श आचार संहति (MCC) नरिवाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिकि दलों और उनके उम्मीदवारों के वनियिमन तथा स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव सुनशिचति करने हेतु जारी दशिा-नरिदेशों का एक समूह है।
- आदर्श आचार संहति (MCC) भारतीय संवधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत नरिवाचन आयोग (EC) को संसद तथा राज्य वधानसभाओं में स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनावों की नगिरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है।
- नयिमों के मुताबकि, आदर्श आचार संहति उस तारीख से लागू हो जाती है जब नरिवाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परणिाम घोषति होने की तारीख तक लागू रहती है।

■ विकास:

- आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक भागीदारों के लिये एक 'आचार संहिता' तैयार की थी।
- इसके पश्चात् वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में नरिवाचन आयोग (EC) ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिये आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।

चुनाव के लिये संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।
- चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी, 1950 को हुई थी।
- संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है।

चुनाव से संबंधित अनुच्छेद	
324	चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में नहित होना।
325	किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करना।
326	लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मतदाताधिकार के आधार पर होंगे।
327	विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
328	ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिये राज्य के विधानमंडल की शक्ति।
329	चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/vanniakula-reservation-unconstitutional-madras-hc>

